न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला डीडवाना–कुचामन (राज)

पीठासीन अधिकारी :– **श्री सुनील कुमार I (RAS)**

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– **404/2020** **GCMS 2020/00544**

प्रार्थी :–

1. रामनिवास पुत्र बिहारीलाल जाति माली निवासी ग्राम जिलिया तहसील कुचामन सिटी

अप्रार्थीगण:–

1. मदनलाल पुत्र गंगाराम जाति खटीक निवासी ग्राम जिलिया तहसील कुचामन सिटी
2. पटवारी हल्का मण्डल आनन्दपुरा तहसील कुचामन सिटी
3. राजस्थान सरकार जरिए प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार कुचामन सिटी

आवेदन पत्र नक्शा ट्रेस व रिकॉर्ड में शुद्धि दुरूस्ती बाबत अन्तर्गत धारा 129, 131, 136 आरटी एक्ट 1956 व धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री राजेश गुर्जर प्रार्थी की ओर से
राजपैरोकार तहसीलदार कुचामन सिटी

–:निर्णय :–

दिनांक :– 24/02/2025

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि मौजा ग्राम राणासर पटवार मण्डल आनन्दपुरा तहसील कुचामन सिटी की सरहद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 981/226 रकबा 0.0202 हैक्टयर व खसरा नम्बर 980/226 रकबा 0.0598 हैक्टयर व खसरा नम्बर 662 स्थित चली आ रही है। ग्राम राणासर तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 981/226 रकबा 0.0202 हैक्टयर प्रार्थी/वादी की कब्जा व खातेदारी की चली आ रही है। ग्राम राणासर तहसील कुचामन सिटी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 981/226 व खसरा नम्बर 985/663 व खसरा नम्बर 984/663 व खसरा नम्बर 663 के मध्य में स्थित खसरा नम्बर 662 कायम कर रखे है जो कि मौके पर रास्ता चालू जबकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:44:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

मौके पर रास्ता खसरा नम्बर 981/222 के उत्तरी–पश्चिम सीमा पर स्थित चला आ रहा है जिसका नजरी नक्शा निम्नवत् है :–

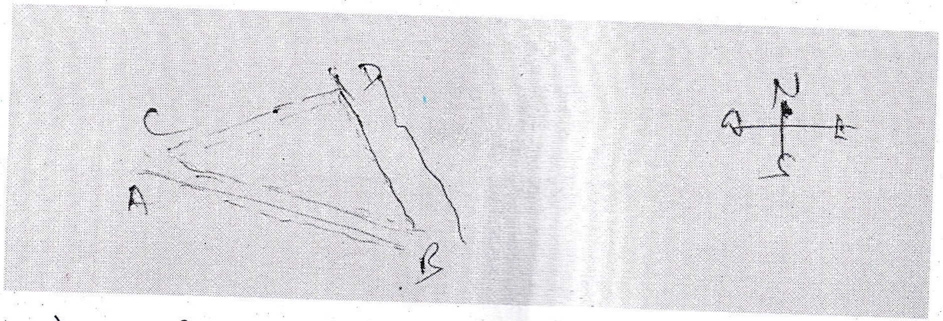

उपरोक्त नजरी नक्शा में A से B के स्थान पर रास्ता नहीं होकर मौके पर रास्ता C से D पर चला आ रहा है। A से B मार्क पर निर्माण किया हुआ है। उपरोक्त भूमि में उपर वर्णित नजरी नक्शे अनुसार मौके पर काबिज अनुसार व रास्ते का रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर नक्शा ट्रेस में तरमीम शुद्धि किया जाने की आवश्यकता है। इसी अनुसार काबिज चले आ रहे है व मौके पर यही मौका स्थित चल रही है। उसी अनुसार तरमीम किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी/वादी की खातेदारी भूमि में प्रतिवादी संख्या 02 व 03 द्वारा बेदखली की धमकी देने से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु धारा 80 सीपीसी का नोटिस देने से अवधि से पूर्व वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। ग्राम राणासर तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 981/226 रकबा 0.0202 हैक्टयर व खसरा नम्बर 663, 984/663, 985/663 के मध्य रास्ता नक्शा ट्रेस तरमीम शुद्धि व नक्शा ट्रेस खसरा नम्बर इसके स्थान खसरा नम्बर 981/226 में संलग्न नजरी नक्शेनुसार दुरूस्ती किया जाकर तरमीम दुरूस्ती कर रिकॉर्ड दुरूस्ती किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे जिनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार कुचामन सिटी से रिपोर्ट प्राप्त की जाकर शामिल मिसल की गई। तहसील[illegible] अनुसार ग्राम राणासर के खसरा नम्बर 662 रकबा 0.15 हैक्टयर [illegible] राजकीय खाता में दर्ज है तथा प्रतिबंधित श्रेणी का है। राजहित होने [illegible] रास्ते के खसरे को यथावत रखा जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:44:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

प्रकरण में उभय पक्षकारा की बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। प्रथम दृष्टया प्रकरण में राजहित निहीत होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्वीकार योग्य पाये जाने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24/02/2025 खुले ईजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार-I)
उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी
जिला- (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (डीडवाना-कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी • (डीडवाना-कुचामन) • कुचामन सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2025.07.07 12:44:58 IST
Reason: SelfAttested